राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/5318

भोपाल, दिनांक 26/03/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी।
मध्यप्रदेश।

विषय :- COVID -19 – गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात देखभाल हेतु मार्गदर्शिका।

संदर्भ :- क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2020/5279, भोपाल दिनांक 20.03.2020।

लेख है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID –19 एपेडेमिक को पेन्डमिक के रूप में घोषित किया गया है। विभिन्न स्त्रोतो के आधार पर ज्ञात होता है कि गर्भवती महिलाओं में COVID –19 से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। अतः आवश्यक है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा सुरक्षात्मक कदम उठाये जाये जिससे वह संक्रमित न हो।

सामाजिक दूरी एवं हाथ साफ रखना तथा संक्रमण से बचाव हेतु अन्य सावधानियो के बारे में गर्भवती महिला को अवगत करने से ही उक्त संक्रमण से बचा जा सकता है। **किसी भी स्थिति में संक्रमित क्षेत्र मे ना जाया जाये।** गर्भावस्था में देखभाल हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाये :-

प्रसव पूर्व जांच :-

1. गर्भावस्था के पंजीकरण के दौरान स्वास्थ्य संस्था अथवा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर संपूर्ण जांचे – वजन, लम्बाई, ब्लड प्रेशर, खून पेशाब की जांच कराई जाये तथा यदि महिला हाई रिस्क है तो ऐसी स्थिति में ही उसे चिकित्सकीय जांच हेतु रेफर किया जाये।
2. गर्भवती महिला के पंजीकरण के उपरांत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर एएनएम एवं सीएचओ द्वारा की जायेगी। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ता द्वारा संपूर्ण संक्रमण बचाव निर्देशो का पालन करते हुये जांच के दौरान ब्लड प्रेशर, हिमोग्लोबिन एवं पेशाब की जांच अवश्य की जाये।
3. 28 सप्ताह अथवा उससे अधिक अवधि वाली गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु की हलचल की निगरानी हेतु समझाईश दी जाये।
4. हाई रिस्क के लक्षण जैसे बुखार, थकान, सिर दर्द, सूजन आना, चक्कर आना, खून जाना, पानी जाना, झटके आने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य संस्था अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा एवं एएनएम) से संपर्क किया जाये।
5. जिला मुख्यालय पर स्थापित टेलीमेडिसीन सेन्टर से भी हाई रिस्क होने की स्थिति में संपर्क किया जा सकता है।

6. एएनएम द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में आयरन एवं कैल्शियम की गोलियां दी जाये जिससे बार – बार दवाईया लेने घर से बाहर नही निकलना पड़े।
7. गर्भवती महिला के **COVID – 19 संक्रमित** से संक्रमित होने की स्थिति में चिकित्सा महाविद्यालय में आईसोलेशन हेतु भर्ती किया जाये।

प्रसव के दौरान देखभाल :– **COVID – 19 संक्रमित महिला को प्रसव हेतु चिकित्सा महाविद्यालय में रेफर करें। परंतु यदि ऐसी परिस्थिति होती है प्रसव तत्काल ही कराना हो तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें :–**

1. COVID – 19 संक्रमित महिला मे सिजेरियन सेक्शन करना आवश्यक नही है परंतु यदि ऑब्सट्रेटिक कॉम्पलीकेशन होने पर ही सिजेरियन किया जाये।
2. यदि COVID – 19 संक्रमित / संदिग्ध महिला हेतु प्रथक से क्षेत्र चिन्हित कर लेबर टेबल पर निजता सुनिश्चित करते हुये प्रसव कराया जाये जिससे अन्य महिलायें संक्रमित नही हो। प्रसव कराने वाले चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स को पीपीई प्रदान की जाये।
3. प्रसव कराने वाले चिकित्सक, स्टाफ नर्स एव सपोर्ट स्टाफ को आईसीएमआर की अनुसंशा के आधार पर टेबलेट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रदान करे।
4. प्रसव पीडा में आई महिला से चिकित्सालय के मेटरनिटी विंग स्टाफ द्वारा गर्भवती महिलाओं की यात्रा / संक्रमित क्षेत्र में भ्रमण / संक्रमित / संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क के विषय में जानकारी प्राप्त की जाये।
5. COVID – 19 के वायरस का संक्रमण प्लासेटा के द्वारा गर्भस्थ शिशु को होने की जानकारी की पुष्टि नही है अतः नवजात शिशु को संक्रमित महिला से दूरी बनाने हेतु अनुशसा नहीं की गई है। मास्क का धारण कर नवजात शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है।

यदि गर्भवती महिला / धात्री महिला के घर में कोई सदस्य होम कोरोनटाईन में है तो प्रोटोकॉल अनुसार महिला से आवश्यक दूरी रखी जाये। उक्त दिशानिर्देश समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं की मेटरनिटी विंग में में कार्यरत स्टाफ को ईमेल एव व्हाटसएप पर कर दी जाये।

मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित

(डॉ. अर्चना मिश्रा)
उप संचालक, मातृ स्वास्थ्य
एन.एच.एम. म.प्र.
भोपाल, दिनांक 26/03/2020

पृ. क्र. / एन.एच.एम. / एम.एच. / 2020 / 5319

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम मध्यप्रदेश।

उप संचालक, मातृ स्वास्थ्य